कार्यालय / न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:— श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइण्ट किमश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, (सदस्य) श्री दिनेश कुमार, ज्वाइण्ट किमश्नर (जी०एस०टी० एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ, (सदस्य)

> श्री अनन्य गोयल, (आवेदक) निवासी— KC-144 कवि नगर, गाजियाबाद, उ०प्र0—201002

आवेदक की ओर सें:– श्री अनन्य गोयल विभाग की ओर से:–



केन्द्रीय जी०एस०टी० अधिनियम, २०१७ तथा उत्तर प्रदेश एस०जी०एस०टी० अधिनियम, २०१७ की धारा—98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय।

श्री संजय कुमार पाठक (सदस्य)

केन्द्रीय जी०एस०टी० अधिनियम, २०१७ तथा उ०प्र० एस०जी०एस०टी० अधिनियम, २०१७ की धारा—98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रश्नगत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी है:—

"Manufacturing food as take away only with no sitting facility, is a restaurant service or manufacturing of goods"

अग्रिम विनिर्णय हेतु प्रस्तुत इस आवेदन के सम्बंध में ज्वाइण्ट किमश्नर, सेन्ट्रल जी०एस०टी किमश्नरेट, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा अग्रिम विनिर्णय हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराया गया है। इस आख्या के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि सी०जी०एस०टी० अधिनियम की अनुसूची—।। की प्रविष्टि क्रमांक—6 निम्नवत् है:—

6.Composite supply:

The following composite supplies shall be treated as a supply of services, namely:

(b) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (other than alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

आवेदन पर सुनवाई हेतु उपस्थित श्री अनन्य गोयल (आवेदक) द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक छोटा "Food counter sale joint "प्रारम्भ किया जा रहा है, जहाँ ग्राहकों को केवल पैक्ड फूड अपने साथ ले जाने की सुविधा होगी। ग्राहकों के लिये कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा। आवेदक के अनुसार चूँिक उनके द्वारा ग्राहकों को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जायेगी। अतः उनकी यह व्यापारिक गतिविधि Manufacturing of goods से सम्बंधित होगी तथा यह गतिविधि "Supply of Services" की श्रेणी में नहीं है। श्री अनन्य गोयल (आवेदक) द्वारा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत् हैं:—

"My view is that my activity is not included in restaurant, eating joint, mess, canteen etc as in all these the common thing is the provision of siting service. But we are not providing any siting/dining service or any other service. In my opinion the law is silent on dealers doing only counter sales. As per notification 46/2017



Central Tax (Rates) deals with only those eating joints which are providing a sitting facility. Nothing is said about only counter sale joints. Also in my opinion, our activity more closely resembles the definition of Manufacture u/s 2(72) of the GST Act, 2017 as we are processing a raw material and bringing into a new product. We are not providing any service so we should be considered a manufacturer."

आवेदक द्वारा अपने लिखित तर्क के अन्त में निम्न अनुरोध किया गया है:--

"I request you to kindly look into the matter and provide your decision regarding whether we fall under Restaurant Service with Rate of Tax @5% under Composition Scheme or under Manufacturer with Rate of Tax @1% under Composition Scheme."

आवेदन में अंकित तथ्यों, आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित/मौखिक तर्क तथा विभागीय आख्या का अवलोकन किया गया।

सी०जी०एस०टी० अधिनियम, २०१७ की धारा—७ (१)(d) तथा इसके समतुल्य उ०प्र० एस०जी०एस०टी० अधिनियम की धारा—७ (१)(d) निम्नवत् है:-

- **7. Scope of supply.- (1)** For the purposes of this Act, the expression "supply" includes-
- (d) the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.

सी०जी०एस०टी० अधिनियम, २०१७ तथा उ०प्र० एस०जी०एस०टी० अधिनियम, २०१७ की अनुसूची— ॥ के प्रस्तर—६ का क्लॉज (b) निम्नवत् है:—

6.Composite supply:

The following composite supplies shall be treated as a supply of services, namely:

(b) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (other than alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

सी०जी०एस०टी० अधिनियम, 2017 की धारा—10(1)(b) तथा इसके समतुल्य उ०प्र० एस०जी०एस०टी० अधिनियम की धारा—10(1)(b) में सी०जी०एस०टी० अधिनियम तथा उ०प्र० एस०जी०एस०टी० अधिनियम की अनुसूची—11 के प्रस्तर—6 के क्लॉज—(b) के अन्तर्गत आने वाली आपूर्तियों में संलग्न व्यक्तियों हेतु समाधान की दर निम्नवत् निर्धारित है:—

- 10. Composition levy.- (1).....
- (b) two and a half per cent. Of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in Clause (b) of paragraph 6 of Schedule II,

अग्रिम विनिर्णय

प्रश्नगत आवेदन में अंकित निर्मित भोज्य पदार्थ की आपूर्ति (supply) अनुसूची— ॥ के प्रस्तर—6 के क्लॉज—(b) में समाहित होने के कारण "supply of service" है तथा इस श्रेणी की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति द्वारा सी0जी0एस0टी0 / उ०प्र० एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा—10 के तहत समाधान



योजना अपनाने पर उ०प्र० राज्य के अन्दर कुल टर्न ओवर पर सी०जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत 2.5 प्रतिशत तथा उ०प्र० एस०जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत 2.5 प्रतिशत अर्थात कुल 5 प्रतिशत समाधान राशि नियमानुसार देय होगी।

दिनेश कुमार) 21/3/18

ज्वाइण्ट कमिश्नर

(जीoएसoटीo एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ (सदस्य) (संजय कुमार पाँठक) ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

त्तर प्रदश्

आदेश सं० ०1

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उ०प्र०

दिनांक 21.03.2018

प्रतिलिपि:-

- 1. चीफ किमश्नर, सेन्ट्रल जी०एस०टी० एवं सेन्ट्रल एक्साइज, लखनऊ, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
- 2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
- 3. एडिशनल किमश्नर, ग्रेड—1, वाणिज्य कर, जोन—प्रथम, गाजियाबाद के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्राधिकार के करनिर्धारण अधिकारी हेतु।
- 4. ज्वाइण्ट कमिश्नर, सेन्ट्रल जी०एस०टी० कमिश्नरेट, गाजियाबाद।
- 5. श्री अनन्य गोयल, KC-144 कवि नगर, गाजियाबाद—201002 उत्तर प्रदेश।

